

122

अंत्यावश्यक
आज ही जारी हो

Accd. 1
6.12

राजस्थान सरकार
शिक्षा (युप-6) विभाग

क्रमांक:- पं 16(24) शिक्षा -6 / 2009

जयपुर, दिनांक:- 14/6/12

निदेशक,
सरकृत शिक्षा,
राज०, जयपुर।

विषय: संस्कृत महाविद्यालय प्रवेश नीति अनुमोदन कसाये जाने बाबत।

गोपनीय

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार आपके पत्र क्रमांक- निराशि/शैक्ष-1/
प्र० १८० २०१२-३४/2012-13/992 दिनांक 28.05.2012 द्वारा प्रेषित संस्कृत महाविद्यालय
प्रवेश नीति का अनुमोदन किया जाता है।

शब्दार्थ,

लाप शारान सचिव

२५/

राजस्थान — सरकार
निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमनिरांश/शैक्ष-१/प.६० पार्ट ॥/प्रवेशनीति/2012/।६२३-६३ दिनांक ।।५ ^६
_{।।२}

समरत प्राचार्य,
राजकीय/अराजकीय आचार्य/शास्त्री
संस्कृत भाविद्यालय, राजस्थान

विषय :— संस्कृत महाविद्यालयों में संशोधित प्रवेश नीति सत्र 2012-13 से लागू करने बाबत।

लंगरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य सरकार के अत्रांक पं.16(24) शिक्षा-८/2009-जयपुर दिनांक 14.06.2012 के द्वारा संशोधित प्रवेश नीति अनुमोदित कर दी है। अतः सत्र 2012-13 से उक्त नीति में दिये गये निर्देशानुसार प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जायें।

सलग्न— प्रवेश नीति

—४—
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

अनुक्रमाणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
१	प्रवेश नीति 2012-13	
	प्रथम भाग शास्त्री पाठ्यक्रम	1-2
	द्वितीय भाग आधार्य पाठ्यक्रम	3-4
	तृतीय भाग सामान्य नियम	5-8
	चतुर्थ भाग आरक्षण, रियावतें एवं लाभ	9-18

नोट - प्रवेश नीति छत्र 2012-13 राजकीय एवं
अनुदानित संस्कृत महाविद्यालयों के लिए भान्य
है।

प्रथम - भाग

शास्त्री पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश हेतु मानदण्ड

1.1

क्र. सं.	प्रवेशार्थियों का प्रकार	मानदण्ड
अ१	राजस्थान गौ अधिकृत किसी भी विद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा	अहंकारी परीक्षा में 40 प्रतिशत प्राप्तांक
अ२	राजस्थान के निवासी (तृतीय और के निवासी (तृतीय और परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अथवा अन्य किसी राज्य से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो	अहंकारी परीक्षा में अलावा अन्य किसी राज्य से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के विवासी न हो
अ३	राजस्थान के बाहर के ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के अलावा अन्य किसी राज्य से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के विवासी न हो	अहंकारी परीक्षा में अन्यतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक

प्रवेश के लिए सहाविद्यालय के लिए छोटीकृत शीटों में 75 प्रतिशत राज्य वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण एवं 25 प्रतिशत स्थान सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के लिए निर्धारित रहेगे। उपरोक्त विधीरित अनुपात के आधार पर यदि राज्य नियत रहते हैं तो अहताओं में किसी भी अहताधारी/शिक्षार्थियों दो राज्य भरे जा सकेंगे।

यदि सीनियर हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण प्रवेशार्थी के संस्कृत वैकल्पिक विषय नहीं रहा हो तो उसे श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता परीक्षा प्रवेश के उपरान्त उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। शिक्षार्थी के द्वारा सम्बन्धित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में उसका प्रवेश रूपनः ही निस्तर तो जायेगा तथा उसके द्वारा जमा कराया गया शुल्क लौटवाया जाएगा।

संस्कृत प्रधान के द्वारा पात्रता परीक्षा के शोरूप प्रविष्ट प्रवेशार्थियों की सूचना विश्वविद्यालय को प्रविष्ट वर्ष के 1५ अगस्त तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

परिषद उपाध्याय/सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण प्रवेशार्थी शास्त्री प्रथम वर्ष में विस्तीर्णीय विषय में प्रवेश ले सकेगा।

प्रत्येक सहाविद्यालय गौ संघालित शास्त्रीय विषय में 80 राज्य प्रति विषय प्रवेश हेतु निर्धारित होंगे। प्रत्येक विषय में शास्त्री कक्षा सत्र पर अन्यतम 20 एवं आचार्य स्तर पर 10 अनिवार्य है। विषय

पर व्यूनतम संख्या 20 एवं आचार्य लाट पर 10 अनिवार्य है। विषय संरक्षण की दृष्टि से वेदव्याख्या एवं दर्शन विषय को उक्त व्यूनतम संख्या शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं में कमशः 10 व 05 निर्धारित रहेगी। जगजातीय जिलों में इथत महाविद्यालयों जैसे निर्धारित व्यूनतम रांख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी। किसी विषय का अपूर्त स्थानों में अधिकतम 50 प्रतिशत स्थानों को अव्य विषय/विषयों में प्राचार्य रबविनेक ये उस सब के लिए परिवर्तित कर निदेशालय लो अवगत करायें। इसके पश्चात रिक्त स्थानों के लिए प्राचार्य को निदेशालय से औचित्य पूर्ण प्रस्ताव पर अनुमोदन लेना होगा।

- 1.5 महाविद्यालय में समस्त प्रवेश बोल्ड छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा/वर्ग में स्थान इतने रहते हैं तो उन्हें निदेशक संस्कृत शिक्षा को सूचित करने हुए उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर वरोदाता कम से भरा जा सकेगा।
- 1.6 कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के बाद अंक सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करता है तो ऐसे छात्र को प्रदेश वहीं दिया जायेगा। यदि कोई छात्र प्रवेश लेने के पश्चात टी०सी० लेकर जाता है और विशेष परिस्थितियों से 45 दिनों के अव्य पुनः प्रवेश उसी संस्था में चाहे तो रिक्त स्थान होने पर विषय परीक्षा आवेदन पूर्ति के पूर्व ही प्रवेश संभव होगा।

विषय परिवर्तन :

- 1.7 (अ) किसी भी विषय में प्रवेश के बाद अपने विषय परिवर्तन के इच्छुक छात्रों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब
 - (i) इच्छित विषय में स्थान रिक्त हो एवं
 - (ii) परिवर्तन के इच्छुक छात्र के अंक इच्छित विषय में अन्तिम प्रयोग छात्र के अंकों से कम न हो
 - (iii) विषय परिवर्तन के लिए आवेदन करने विद्यार्थियों के भाव एक विषय के परिवर्तन की अनुमति एक बार दी जा सकेगी, यदि उस विषय में स्थान उपलब्ध हो।
 - (iv) विषय परिवर्तन प्रवेश की अनिम सिद्धि से 15 दिन की अवधि में 100/- रुपये विषय परिवर्तन शुल्क जगा रखने पर ही किया जा सकेगा।
- 1.8 (i) शास्त्री परीक्षा की प्रधान अथवा द्वितीय कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दो आवादादिक सत्रों से अधिक अन्तराल बर्नीत होने ने पश्चात विद्यमान/द्वितीय पाठ्य आवेदक को शास्त्री पाठ्यक्रम की अगली छंडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ii) शास्त्री में प्रविष्ट धन्र का ददि एस०टी०सी० या अन्य पाठ्यक्रम में फली प्रवेश होता है तो उसे अपनी ली०सी०संस्था से लेकर जाना अविवार्य होगा।

:: द्वितीय भाग ::

आचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

२.१. आचार्य कक्षाओं में प्रवेश के मानदण्ड

समस्त संस्कृत महाविद्यालयों में आचार्य (पूर्वाङ्क) कक्षाओं ने $10+2+3$ के (खातावक) शास्त्री/बी०ए० (संस्कृत ऐकलिपक विषय अद्वितीय) उपाधि प्राप्त अभ्यार्थियों को नियमांकित मानदण्ड एवं नियमानुसार प्रवेश दिये जारी हैं।

क्र. सं.	प्रवेशार्थी का प्रकार	पाठ्यक्रम	मानदण्ड
अ)	राजस्थान में अवस्थित किरी बी विश्वविद्यालय से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण	शास्त्री बी.ए. (उंस्कृत ऐकलिपक विषय के साथ)	अहंकारी परीक्षा में +० प्रतिशत प्राप्तांक
ब)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित गिर्जसी विश्वविद्यालय के अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी	उपरोक्त	अहंकारी परीक्षा में व्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्तांक

आचार्य कक्षाओं में प्रवेश के नियम

- १) आचार्य कक्षा में प्रवेश हेतु सम्बद्ध दिश्वविद्यालय ने नियम लागू होगे।
- २) अपर्याप्त प्रवेश की स्थिति में इक्के स्थानों पर प्रवेश हेतु संवर्ग २.१ के प्रत्याशियों को व्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में ३ प्रतिशत वरी सूट दी जा सकेगी।
- ३) जन जातीय क्षेत्र में रियत महाविद्यालयों में व्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में १ प्रतिशत वरी घृट दी जा सकेगी।
- ४) किसी प्रवेशार्थी द्वारा किसी भी आचार्य महाविद्यालय में आचार्य कक्षाओं ने लियमित प्रवेश की सुविधा दो बार महाविद्यालयों में रामानुजरा दो विषयों गे ही दी जायेगी यह अपने तृतीय बार देव नहीं होगा।

- (5) (i) आचार्य पूर्वार्द्ध में अनुत्तीर्ण छात्र जो पुनः उसी विषय में पूर्वार्द्ध में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु उसे दूसरे शास्त्रीय विषय में प्रवेश दिया जा सकेगा।
(ii) प्रवेश के बाद बी०एड०/ शिक्षा शास्त्री एवं अन्य किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चयन होता है तो उसे महाविद्यालय से टी०सी० लेकर जाना अनिवार्य होगा।
- (6) आचार्य पूर्वार्द्ध कक्षा नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण करने के बाद दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने के पश्चात् छात्र को अग्रिम कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (7) आचार्य पूर्वार्द्ध में प्रविष्ट छात्र का शिक्षा शास्त्री या अन्य पाठ्यक्रम में कही प्रवेश होता है तो उसे अपनी टी०सी० संस्था से लेकर जाना अनिवार्य होगा।
- (8) शास्त्री प्रथम वर्ष/आचार्य पूर्वार्द्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अन्तराल की बाध्यता नहीं होगी। किन्तु प्रवेशार्थी को विशेष अपरिहार्य कारणों का या प्रवेश सत्र से पूर्य सत्र का नियमित अध्यायन और परीक्षा में प्रविष्ट होने का प्रमाण देना होगा।
- 2.2 आचार्य कक्षा/विषय ने स्थानों की सीमा - शास्त्री पाठ्यक्रम एवं उसमें संचालित विषयों के लिए विद्यारित रखाने ही आचार्य पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालयों में संचालित विषयों के लिए विधारित रखें।

:: विषय परिवर्तन ::

- 3 (अ) किसी भी विषय में प्रवेश के बाद अपने विषय परिवर्तन के इच्छुक छात्रों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब-
- (1) इच्छित विषय में स्थान रिक्त हो।
- (2) परिवर्तन के इच्छुक छात्र के अंक इच्छित विषय में अन्तिम प्रविष्ट छात्र के अंकों से कम न हो।
- (ब) विषय परिवर्तन के लिए आवेदन कर्ता विद्यार्थियों को विषय के परिवर्तन की अनुमति मात्र एक बार ही दी जा सकेगी, यदि उस विषय में स्थान उपलब्ध हो।
- (स) विषय परिवर्तन प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिन की अवधि में 100/- रुपये विषय परिवर्तन शुल्क जमा करने पर भी किया जा सकेगा।

तृतीय भाग

सामाज्य नियम

शास्त्री/आचार्य हेतु

२५३

3.1 प्रवेश अखीकर करने का अधिकार -

प्राचार्य निम्नांकित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश अखीकर कर सकता है:-

- (1) जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर लिया हो अथवा भिन्न प्रस्तुत किया हो।
- (2) जिसने शुल्क जमा करने की घोषित तिथि तक विश्वविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- (3) जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
- (4) जिसका प्रवेश सम्बद्ध विश्वविद्यालयों में निष्ठेभी के अल्टर्जत स्वीकार्य न हो।
- (5) जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
- (6) परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो किन्तु प्रवेश वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग के कम भी अपराधी का प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्णय के अध्यर्थीन होगा।
- (7) जिसके विलक्ष्य किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का अपराधिक गामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
- (8) जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा विस्तीर्ण प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ढंडाया गया हो।
- (9) जो प्रवेश प्रक्रिया के समय किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली गलौद करने का दोषी हो।
- (10) प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण।

2 निवास की परिभाषा: राजस्थान का निवासी/अभिव्यक्ति की व्याख्या निम्नांकित है :-

- (अ) जो राजस्थान का जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार एवं)
- (ब) जिसके आता/पेता पितॄले पाँच वर्ष से राजस्थान में निटन्टर निवास कर रहे हो। (इस कोटि के आवेदन को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)
- (त) जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

(द) जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपकरण अथवा केन्द्रीय सरकार के आई राजकारी दांजरन के संजग्यान में पद स्थापित कर्गचारी का पुत्र/पुत्री हो।

(४) जो रोजा (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्गचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान गें आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।

(५) जो ऐना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक धल में कार्यरत एवं राजस्थान के भूल कियासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदन को हस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.आ./सहायक कलेक्टर अथवा प्राइसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

(६) ऐसी गाहिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात् राजस्थान में रह रही है (शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर)।

शास्त्री प्रथम वर्ष में अनुच्छीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश -

एक बार नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अनुच्छीर्ण होता है अथवा उपस्थिति की व्यूनता के कारण परीक्षा देते से वंचित घोष्य जाता है तो उसे उसी विषय अथवा भिन्न विषय की उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परन्तु यदि विद्यार्थी वे विभिन्न सत्र में महाविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय/विद्यालय के अन्तर्गत विद्यार्थी/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो तथा परीक्षा में उसे बैठने का छात्र के पास पुष्ट कारण हो तो उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा। महाविद्यालय से टी.सी.ग्राम कर अव्यय प्रक्रिया के लिए जाने वाले छात्र पर वह नियम लागू नहीं होगा। किन्तु यह अन्तराल 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।

पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश

(अ) पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थी आगे की कक्षा में विधिविरुद्ध तिथि तक प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश वही लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। (ब) शास्त्री स्तर पर किसी भी विषय में पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को उसी विषय की आचार्य कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(स) अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की प्राप्ति तथा योग्यता स्थान के निर्धारण के लिए पूर्ण परीक्षा के विषय पेपर में अभ्यर्थी के ग्रामांकों के बजाए व्यूनतग उत्तीर्णक जोड़ जायेंगे।

(द) ऐसे पूरक परीक्षा योग्य घोषित विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय गें नियमित छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उनके पूर्ण परीक्षा के परिणाम में अनुच्छीर्ण घोषित किए जाने पर उनका उक्त अस्थायी

25

3.5 पुनर्मूल्यांकन के फलस्परूप उत्तीर्ण अध्यया विलग्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में प्रवेश -

किसी विद्यार्थी के उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के फलस्परूप अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उरो अगली कक्षा में प्रदेश के लिए तभी अनुमति दी जावेगी जब वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन की आधि में अध्यया 31 दिसंबर तक (जो भी पहले हो) प्रवेश हेतु आठेटन वर्ते। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम 31 दिसंबर के बाद घोषित किए जाने की स्थिति में यदि विश्वविद्यालय विधिमित प्रवेश लिए जाने की अन्तिम तिथि (31 दिसंबर) में शिथिलता प्रवान देता है, तो उसी के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जा उकेगा। यह प्रावधान शास्त्री छातीय आग, तृतीय आग एवं आधार्य (उत्तरार्थी) में प्रवेश हेतु भी गान्ड होने। किसी कारणवश परीक्षा परिणाम विलग्ब से घोषित किए जाने की स्थिति में भी उन्हें के प्रवेश से सम्बन्धित प्रकरण इस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किए जायेंगे।

3.6 स्वयंपाठी अभ्यर्थियों का प्रवेश

शास्त्री स्तर की कक्षाओं में स्वयंपाठी छात्रों को प्रवेश निम्नानुग्राम दिए जा सकते :-

आवेदनकर्ता अभ्यर्थी	प्रवेश हेतु मानदण्ड
प्रथम आग ने प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	1. उसी रात्री जै विवेचित व्यूनतम ग्राह्यदण्डों के अनुरूप प्रवान होने पर प्रत्येक आग में रोक्याता सूझा ने बर्टाराता के अनुसार प्रवेश देय होगा।
प्रथम आग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका कोइ पेपर बकाया न हो	व्यूनतम 45 ग्राह्यशत प्राप्तांक होने पर द्वितीय आग में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश देय होगा।
द्वितीय आग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका कोइ पेपर बकाया न हो	व्यूनतम 45 ग्राह्यशत प्राप्तांक होने पर तृतीय आग में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश देय होगा।
प्रथम आग एवं द्वितीय आग की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	तृतीय आग में प्रवेश देय नहीं होगा।

शास्त्री द्वितीय एवं तृतीय भाग ने स्वयंपाठी छात्रों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति जै विद्यालय जा सकेगा, जबकि सगरस विधिमित छात्रों लो प्रवेश देखे के उपरावत सम्बन्धित विषयालय में रापान रिला हो तथा वैकल्पिक विषयों का अनुरूप लागू विद्यालय में उपलब्ध हो।

आनार्द रसर पर पूर्वी स्वयंपाठी वो रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो उत्तरार्द में प्रवेश होने दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय ने प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर उत्तरार्द या द्वितीय आग में स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए व्यूनतम 45 ग्राह्यशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू जानी होगी। रथार रिक्त होने की अवस्था में उत्तीर्णक तरह प्रवेश दिया जायेगा।

७ स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

- (अ) किसी बगर/कर्जे में अवृत्तियत एक महाविद्यालय ने उपर्युक्त विद्यार्थी को उसी बगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण किसी भी संसदीय/विषय में रद्दीकर्त्त्व नहीं होगा।
- (ब) भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवृत्तियत महाविद्यालयों में भी एक से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण की अनुमति भाता-पिता तथा प्रजग प्रवेश के समय धोखित संरक्षक के स्थानान्तरण जैसी विशेष गोरीरेथति जैसी शी जागेगी किन्तु भाता-पिता के जीवित रहने अव्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।
- (स) किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण के स्थान अथवा उसके जिकट्टर्टी स्थान या गृह स्थान पर (जहाँ उसी सुविधा उपलब्ध हो) उसके पुज/पुत्री संरक्षित को इस आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (द) भाता-पिता/संरक्षक व अव्य किसी अभिभावक छो एवं स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी वज एवं विश्वविद्यालय परीक्षा आयोदन पत्र भरने के पूर्व तक ही होगा।

पात्रता हेतु विशेष शिखिलता -

उग्गी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग स्थान रिक्त रह जायें, प्राचार्य ऐसी अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जिनके कुल जांक प्रवेश हेतु विधारित वोटिंग व्यावरण पात्रता से केवल एक ढांक नहीं हो।

समान योग्यता स्थान होने पर प्रायमिकता

समान योग्यता वाले अभ्यर्थियों में से उपलब्ध रिवत स्थान/स्थानों पर अभ्यर्थी उचयव हेतु प्रायमिकताएँ -

यदि किसी कक्षा/विषयों में लाभ के अंक प्राप्त छात्र और लाभ रहित अभ्यर्थी दोनों वरीयता सूची में समान योग्यता स्थान रखते हैं तो उनमें लाभांश प्रतिशत से रहित छात्र को प्रायमिकता देते हुए उपलब्ध स्थान पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

यदि करिए उपाध्याय परीक्षा के प्राप्तांक रामान हों, तो प्रवेशिका परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले छात्र को वरीयता दी जायेगी।

यदि प्रवेशिका परीक्षा के प्राप्तांक भी समान हों, तो जिस अभ्यर्थी वही आदु अशिक हो उसे वरीयता दी जायेगी।

आचार्य महाविद्यालय में स्थानीय संस्था के शास्त्री तृतीय वर्ष उत्तीर्ण अहंक छात्रों के लिये स्थान सुरक्षित रखते हुए आचार्य प्रथम वर्ष में वर्षीन प्रवेशार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

चतुर्थ-भाग

आरक्षण, शिक्षायते एवं लाभ

4.1 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (विकली परत को छोड़कर) के अध्यर्थी

शास्त्री, आचार्य स्तर के एवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (विकली परत को छोड़कर) के अध्यर्थियों द्वारा लिये ४८३: १६ प्रतिशत, १२ प्रतिशत एवं २१ प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, १०० लीटरों पर रेस्टर प्रणाली सारा एस.ओ.बी.सी.के लिये प्रत्येक ७४ में ब्राम की सीट आरक्षित रहेंगी। इसके लिये अध्यर्थी को जिला अधिकारी/उपायुक्त अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रंगतुत करना होगा।

- (अ) शास्त्री कक्षा प्रथम भाग में तथा आचार्य प्रथम भाग में उपर्युक्तानुसार रथालों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।
- (ब) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (विकली परत को छोड़कर) हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
- (स) यदि आरक्षण के अनुसार स्थान रिक्त रहे तो अनुसूचित जाति के आरक्षित रथालों को अनुसूचित जनजाति के अध्यर्थियों से तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अध्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- (द) इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अध्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
- (र) बांस जिले में किंशतगंज व शाहबाद तहसील के सहायी जाति के शिक्षार्थियों का प्रवेश उत्तीर्णालं पर भी हो सकेगा।

4.2 विकलांग अध्यर्थी (शास्त्री/आचार्य स्तर)

- (अ) मूक, अधिर एवं BLIND छात्र/छात्राओं को मनोविज्ञित महाविद्यालय में मनोविज्ञित संकाय में उत्तीर्णालं पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रविष्ट छात्रों की सीटे स्थीरकृत सीटों के अतिरिक्त माजी जादेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
- (ब) शास्त्री में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में ३ प्रतिशत स्थान विकलांग अध्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में समर्पित वर्ग के अध्यर्थियों द्वारा लिए उपलब्ध होगा।
- (स) आचार्य स्तर पर आरक्षण निष्पत्याकार होगा। जहाँ उन संख्या एक हो, वहाँ भी वह एक स्थान आरक्षित रहेगा।
- (द) विकलांग अध्यर्थी न होने की स्थिति में प्रवेश की अनिवार्यता को उन्हें सामान्य अध्यर्थी से भरा जा सकेगा।
- (र) इस नियतांश वर्ग प्रवेश के लिए ३.३मी को ३ प्रतिशत अतिरिक्त उंचाई का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अध्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता

सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।

- (र) विकलांग अभ्यर्थी के लिए इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश पाने हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पुनर्वास केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किन्तु जहां पुनर्वास केन्द्र जही है वहां सी.एग.एण्ड एच.ओ. अथवा इस हेतु अव्य अधिकृत समकक्ष विकित्या अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रगाप पत्र भी मान्य होगा।

4.3 प्रतिरक्षा सेवा

क्र. सं.	Categories eligible	लाभ
(अ)	<ul style="list-style-type: none"> (i) Killed in action. (ii) Disabled in action, and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/disable in service and boarded out with disability attributable to military service. (iii) Gallantry award (iv) Ex Servicemen 	Reservation of seats 03% in Govt. Colleges in order (i) to (iv)
(ब)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवात्म या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योज्य सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 03 प्रतिशत की घुँड़ि।
(क)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	ज्यूलतम उत्तीर्णक पर प्रवेश।

4.4 कक्षमीरी विस्थापित

- शास्त्री गें प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में से एक प्रतिशत सामान्य कक्षमीरी विस्थापितों के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आनंदान्वय वर्ज सहित राजी वर्जों वै सम्बलित वर्ज के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
- कक्षमीरी विस्थापित अभ्यर्थी के उपलब्ध व डोबे जी रिश्टिंग वै प्रवेश की अनियम तिथि तो इसे सामान्य अभ्यर्थी में शाय जा सकेगा।
- इस नियतांश (कोटे) दो प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को तीन प्रतिशत अतिरिक्त अवर्ज का लाभ दिया जा सकेगा। परन्तु उवते लाभ पिरी अभ्यर्थी वै नियतांश भर्ते वै प्राप्तिकता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए जही।

4. कश्मीरी विद्यापित अभ्यर्थियों को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विद्यापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. कश्मीरी विद्यापित अभ्यर्थियों को अंतिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
6. प्रवेश देने के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को उपतिष्ठत तक बढ़ाया जा सकेगा।
7. प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

खेलकूद/सह शैक्षणिक/सिक्षणीय उपलब्धियों का लाभ

उपर्युक्त छेत्रों में उपलब्धि प्राप्त हुव अर्डकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम अंतिम उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। विद्यालय स्तर पर प्राप्त यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। विद्यालय स्तर पर प्राप्त यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। विद्यालय स्तर पर प्राप्त यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। विद्यालय स्तर पर प्राप्त यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। विद्यालय स्तर पर प्राप्त यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो।

4.5 खेलकूद :

क्र. सं.	उपलब्धि	लाभ
अ	भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पदा में प्रतिनिधित्व	व्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल की विश्वविद्यालय उत्तीर्ण राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय या तृतीय स्थान	व्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रवेश
स	विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	व्यूनतम उत्तीर्णीक प्रतिशत पर प्रवेश
द	अन्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीनता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में पॉव प्रतिशत की वृद्धि
थ	खेलविनियत खेल के सरकार द्वारा गठित था आज्ञायक प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीनता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में पॉव प्रतिशत की वृद्धि

R	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूट प्रतियोगिता अथवा विश्वविद्यालय अशास्त्र संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित राज्य संभाग अन्तर्महाविद्यालय/विद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान	प्रदेश योज्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
L	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूट में स्कूल का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय कीड़ा परिषद या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	प्रदेश योज्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
V	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजन रस्टरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व	प्रदेश योज्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
M		
S	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजन रस्टरीय प्रतियोगिता में रीजन का प्रतिनिधित्व	प्रदेश योज्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
P	संस्कृत निदेशालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान	प्रदेश योज्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
	1. राज्य स्तर पर 2. संभाग स्तर पर 3. जिला स्तर पर	3. प्रतिशत की वृद्धि 3. प्रतिशत की वृद्धि 2. प्रतिशत की वृद्धि

अक्सर लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसारे राक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, प्रदेश आवेदन पत्र के साथ ही प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा।

क्र. सं.	वर्ग	जिनका प्रवाण पत्र मत्त्व सोना
1	अ.ब.स.	भारतीय खेल प्रधिकरण, लोल उचालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित राष्ट्रविधित विश्वविद्यालय कीड़ा परिषद, राज्य कीड़ा परिषद
2	र	विश्वविद्यालय कीड़ा परिषद
3	य	राज्य कीड़ा परिषद, भारतीय गवर्नरोफर संस्थान द्वारा अनिवार्य
4	र तथा ल	उपनिदेशक स्तर के उचिकार्ट/विश्वविद्यालय कीड़ा परिषद/निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा सन्नाधित आयोजन संचिव द्वारा प्रदत्त संस्कृत निदेशालय द्वारा प्रतिहस्ताधित

५	व तथा श	आयोजन संचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
६	ष	निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मात्रा होते नाम ज्ञेल
क्र.		
सं.		
१.		एथलेटिस (जॉस कन्ट्री दैड स्ट्रिट)
२.		जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो)
३.		हैडमिक्सर
४.		यार्कट्टर्स
५.		शतरंज
६.		क्रिकेट
७.	०	साइकिलिंग
८.		फुटबाल
९.		हॉकी
१०.		कबड्डी
११.		खो-खो
१२.		ट्रिक्यू ट्रिक्यू
१३.		ट्रिक्यू
१४.		बॉलीबाल
१५.		हैण्डबाल
१६.		कुश्चरी
१७.		आयोल्टोलन
१८.		जिमनास्टिक
१९.		जूड़ी
२०.		मुक्केबाजी
२१.		बॉलबलाइजिंग
२२.		टीरबाजी
२३.		निशाबेबाजी
२४.		रॉफ्टबॉल

4.6 एन०सी०सी०

क्र.	उपलब्धि (विगत तीव्र क्षेत्रों में)	लाभ
अ.	भावन असाधन विकास गंत्रांजन, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एवं सी.सी. द्वारा पद्धति देश का प्रतिनिधित्व एन.सी.सी.की किरी शाखा में आयोल भारतीय राज्यों के लिए का प्रत्यवार	न्यूनतमा उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश
२		न्यूनतमा उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रवेश

रा विन्मानकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अध्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ५ प्रतिशत की वृद्धि

1. जनतंत्र दिवस कैम्प
 2. अभिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प
 3. पैरा जमियंग कोर्स
 4. आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी चर्चतरोहण अधिनियम (2000 सीट या उच्च पर्वत शिखर पर) भाग लेना।
 5. छात्र/छात्रा विंग में से सार्टिफिकेट बी बोड के साथ प्राप्त
 6. जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट बी बोड के साथ प्राप्त
 7. रनो-स्कीइंजिनियर
 8. सीनियर अण्डर ऑफिसर ईव, पर नियुक्ति जनतंत्र दिवस कैम्प की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वालों को, पैरा जमियंग कोर्स में सकार्ड डाइरिंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेन्चर माउण्टेनेइंग जथा एडवांस भारणेलेसिंग कोर्स करने वाले को, सी एर्टिफिकेट ए बोड और ए सर्टिफिकेट ए बोड प्राप्त कैडेट को, प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता विधारण हेतु एक प्रतिशत अतिकित अर्थात् ६ प्रतिशत का लाभ देय होगा।
- अर्जित ६ प्रतिशत का लाभ देय होगा। अर्जित विशिष्ट अर्जित विन्मानकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा चिन्नाकित विशिष्ट अर्जित विन्मानकित गतिविधियों में भाग लेने पर

1. ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कोर्स
 2. छात्र/छात्रा विंग का सी प्रमाण पत्र सी बोड के पास
 3. ऑल इंडिया बैसिक लीडरशिप कोर्स
 4. लियमित सुरक्षा सेबा के साथ या सप्ताह बग अटैचमेन्ट कोर्स
 5. वॉटर स्कीइंग कोर्स
 6. जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट सी बोड के साथ
 7. अण्डर ऑफिसर ईव पर नियुक्ति
- प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अध्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ३ प्रतिशत की वृद्धि

4.7 पुर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलब्लाइनिंग

क. उपलब्ध (यिन्हें तीन बर्षों में)

रा. माल्यता प्राप्त करना और आयोजित अकारार्थीय अनियान में राज्य का प्रतिनिधित्व

लाभ

न्यूनतम उत्तीर्णक प्रतिशत पर प्रदेश

ब्र	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पड़ने।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि।
स	विश्वविद्यालय अथवा मानवता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि।
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मानवता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में वेसिक कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि।

३ साष्टीय सेवा योजना

क) उपरिक्त (विज्ञत तीन वर्षों में)

लाभ

सं.	अ	प्रवेश के पूर्वतीन तीन वर्षों में आकर्षणीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/गाष्ठीय/राज्य स्तर पर पुरुषकृत स्वयं शेषक व्यूनताज अहंतार्थ पूँजी करने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि।
	ब	प्रवेश के पूर्वतीन तीन वर्षों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार जनतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेस्स शिविर अथवा राष्ट्रीय प्रक्रियट्रॉफ प्रेस्स शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष उपरिक्ति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का उपरिक्ति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि।
	स	प्रवेश के पूर्वतीन तीन वर्षों में राज्य स्तर/विभाग राज्य स्तर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपरिक्ति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि।
	द	प्रवेश के पूर्वतीन तीन वर्षों में एक विशेष इन्हिर में उपरिक्ति एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि।

4.9 रोवर, ऐन्जर, स्कगड, माइक्स

प्रारंभिक	उत्तीर्णिक
प्राप्ति विधि (विभिन्न तीन तर्जों में)	लाभ
आ विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा घण्टित होकर चिह्नी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति एक्स/गाइड/रोबर/ईजर पुरस्कार प्राप्त किया हो।	व्यूक्तम् उत्तीर्णिक प्रतिशत ३२ प्रतेरा
ब राज्य पुरस्कार एक्स/गाइड अथवा निष्पाण रोबर/ईजर वैज प्राप्त किया जो राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य वर्ष प्रतिनिधित्व कर्ता गत ३ वर्ष की अवधि।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ५ प्रतिशत की वृद्धि
स दूसीय योग्यता स्काउट/गाइड अथवा प्रवीण ईजर ईजर अथवा स्टेट रोबरभूट/ईजर और में भाग लिया हो, परंतु योहण का आधारभूत क्रोर्स कर्ता गत तीन वर्ष की अवधि में।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ३ प्रतिशत की वृद्धि

4.10 सह शैक्षणिक मतिविधियाँ

4.10 सह शिक्षणिक गतिविधि		लाभ
क.	उपलब्धि	
लं.		
अ	भारत सरकार के भावव संसाधन विभाग एवं मुमाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार को सम्मानित किया गया हो।	न्यूक्लस उत्तीर्णीक पर प्रवेश केवल एक बार
ब	भारतीय विश्वविद्यालय राष्ट्र अथवा आईआई सीआर अथवा केक्स सरकार के किसी विद्याल याद्वारा आयोजित अधिकारी भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।	प्रवेश योग्यता क्षमता में वरीयता विर्द्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की पूँजि
स	संघ शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता ठंड के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या कोई सरकारी ले	प्रवेश योग्यता क्षमता में वरीयता विर्द्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की पूँजि

4.9 रोवर, रेजर, स्काउट, गाइड

क्र. सं.	उपलब्धि (विशेष तीन वर्षों में)	लाभ
अ	विशेष जगत्कूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर विद्वी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्र/गाइड/रोवर/रेजर पुरस्कार प्राप्त किया हो	व्यूक्तम उत्तीर्णिक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड अंथवा बिपुण रोवर/रेजर बैज प्राप्त किया जा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता गत 3 वर्ष की अवधि।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अन्यथी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की धूँढ़ि
स	तृतीय सोमान स्काउट/गाइड अंथवा प्रवीण रोवर/रेजर अंथवा स्टेट रोदरभूट/रेजर गीड में भाग लिया हो, पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स करता नह तीन वर्ष की अपविधि में।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अन्यथी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की धूँढ़ि

4.10 सह शैक्षणिक गतिविधियाँ

क्र. सं.	उपलब्धि	लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं यामाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनवगत नई राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार को सम्मानित किया गया हो।	व्यूक्तम उत्तीर्णिक पर प्रवेश केवल एक बार
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा अई०सी० सी०आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अन्यथी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की धूँढ़ि
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अपवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय लाईय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अन्यथी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की धूँढ़ि

किसी विभाग द्वारा आयोजित अधिकृत भास्तीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतियोगित्व

उपर्युक्त ब एवं सं के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संस्थान/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देगा जहाँ होगा।

द राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संभाग संभाग को प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्वान प्राप्त

प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता विधीरण हेतु अध्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ३ प्रतिशत की घृष्णि

4.1.1 अन्ना विशेष प्रबंध के अभ्यर्थियों को देय लाभ

क्र. सं.	शेषी	लाभ
अ	मृत शज्य वर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा निदेशालय संस्कृत शिला की सेवाओं में रोचारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अध्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में ३ प्रतिशत की घृष्णि
१	नियम संख्या 4.4 से 4.1.1 के अन्तर्गत व्यूक्ततम उत्तरांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्ना देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु रवीकार्य बही है।	
२	उपर्युक्त लाभ प्राप्ति हेतु अध्यर्थी को खल्चिद्वित रक्षणा अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण पत्र पत्र की सत्यापित पत्रिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे विली लाभ के लिए कोई अनुरोध रवीकार्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र दी प्रतिशत प्रति वाद में रवीकार नहीं होगी। प्रवेश रूची में बाज आवे पर गूल प्रमाण पत्र प्रदत्त करना होगा।	
३	उपर्युक्त नियम 4.4 से 4.1.1 में वर्णित लाभों में से एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अध्यर्थी को देय होगा, ताहे वह कितनी भी गतितिथियों गे दाखिलित वर्धों न हो।	
४	उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन रात्रके लिए एक काशा में प्रवेश के लिए एक ही बार लाभ देय होगा।	

जातियिधियों में सम्मिलित क्यों न हो।

- 4 उनका उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होके पर भी उन भब्हके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही बार लाभ देय होगा।
- 5 विद्यार्थी द्वारा विद्यालय रत्तर पर प्राप्त उपलब्धि का लाभ शास्त्री भाग प्रथम तथा भावाविद्यालय/विश्वविद्यालय रत्तर पर पात उपलब्धि का लाभ आचार्य पूर्वार्द्ध की कक्षा में प्रवेश हेतु लेवल एक बार देय होगा।
- 6 उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ हस्त आशय का पृथक् रूप आवेदन पत्र देना होगा। इसके अभाव में यह लाभ देय नहीं होगा।

विशेष :-

वीति 2012-13 के विधयमें में किसी प्रकार का जागरूकरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑडिनेन्स माल्य होगें। प्रवेश देते अग्रवाणीक लंब सारिएँ में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाए। उपर्युक्त विद्यमों की कियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा विद्यमों की व्याख्या में अस्पष्टता या शम की स्थिति होते यह निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। विद्यमों के संबंध में निदेशक, संस्कृत शिक्षा का किया गया है अन्तिम पट माल्य होगा।

निर्देश :-

राज्य उधिसूतना कमांड पं. 12(2)विज्ञ/कट/10-98 दिनांक 09.03.10 तथा कार्यालय भावानिरीक्षन, पंजीयन एवं युदाक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्र कमांड एफ/(39)/10/3099-3132 दिनांक 10.04.10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र/मूल विवास प्रमाण पत्र आवेदान करने के प्रायोजन के लिए विष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृक्ष की मंजूरी के लिए अपेक्षित शापथ पत्रों पर संदेश स्टाम्प शुल्क वा परिहार (माफ) किया जाता है। इसकी पालना युनिशित की जावें।

— — — — —
(डॉ. मण्डल शर्मा)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर